



**लोक सेवा आयोग**  
**मध्यप्रदेश**

क्रमांक 244 / 18 / 2015 / स्था.

इन्दौर, दिनांक **29 APR 2016**

**:: सूचना ::**

आयोग द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय में रिक्त सहायक वर्ग-03 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/स्थापना/2015, दिनांक 30.12.2015 जारी किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक. दिनांक 19.09.2002 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 के परिपालन में आयोग के शुद्धि पत्र क्रं. 03/03/स्थापना/2015, दिनांक 14.03.2016 के द्वारा अनुसूचित जनजाति बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के आवेदकों ने यदि सहायक वर्ग-03 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है तो वे आवेदक अपने मूल दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ विज्ञापन में दर्शायी अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र आदि आयोग कार्यालय में दिनांक 18.04.2016 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु सूचित किया गया था। ताकि शासन के उपरोक्त परिपत्रों का अनुसरण करते हुए सीधी भर्ती की कार्यवाही की जा सके। निम्नलिखित आवेदकों ने सहायक वर्ग-3 के पद हेतु प्रेषित ऑनलाईन प्राप्त हुये हैं किन्तु विज्ञापन में दर्शायी अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ आयोग कार्यालय में प्रेषित नहीं की गई हैं, जिससे यह पुष्टि नहीं हो पा रही है कि उक्त पद हेतु विज्ञापन अनुसार शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं या नहीं :-

स.क्र.	आवेदन क्रमांक	आवेदक नाम	पिता का नाम	जिला
01	AG30903003039	MALLU TUMDAM	GENDLAL TUMDAM	CHHINDWARA
02	AG31902001216	MAMTA BHARTI	SUKHDAS BHARTI	SEONI

02/ अतः निर्देशानुसार उपरोक्त आवेदकों को आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाये पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना-पत्र भेजे गये हैं तथा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन में दर्शायी अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता संबंधी समस्त अभिलेखों की छायाप्रति दिनांक 10.05.2016 तक आयोग कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर बिना विचार किये नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा।

( एस. मेडा )

अवर सचिव